

Government of Rajasthan
Department of Tourism
Office of Chairman, Elephant Welfare Society

Hotel Khasa Kothi Campus. M.I. Road. Jaipur
Tel No 0141-5155100, Telefax : 0141-5155101
email:-cotraj@gmail.com

No.8 ()Trade/Hathi Gaon/Maintenance/2015-16/32807

Dated:- 2/2/2016

Inviting Bid
(Bid No. 40/2015-16)

Open competitive Bid under two part bidding process (technical and financial) are invited from reputed, interested, eligible and experienced firms for Cleaning/Maintenance of Hathi Gaon, Amer, Jaipur.

Name of Work	Bids invited from	Estimat ed cost of work	Bid Security	Time & last date for submission of Bid	Time and date for opening of technical bid
Selection of firms for Cleaning/Maintenace of Hathi Gaon, Amer, Jaipur	Reputed Cleaning/ Maintena nce Firms	Rs. 18.00 lacs	36000.00	Up to 2.30 pm, 23 Feb. 2016	3.00 pm, 23 Feb. 2016

The Bid form can be downloaded from sppp.raj.nic.in, and www.rajasthantourism.gov.in. Duly filled Bids can be submitted latest by 23- February, 2016. Demand draft of Rs 500.00 as bid document fee in favor of Director, Department of Tourism, Rajasthan, Jaipur along-with technical bid.

--sd--
Director Tourism
& Ex-officio Chairman,
Elephant Welfare Society

तकनीकी बोली प्रपत्र-1

हाथी गांव, आमेर सम्पूर्ण परिसर एवं इससे सम्बन्धित अन्य स्थानों की सफाई व्यवस्था का कार्य प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक के लिए तकनीकी बोली प्रपत्र

1	बोली आमंत्रित करने वाला विभाग	हाथी कल्याण संस्था, जयपुर (पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर)	
2	बोली का संदर्भ	बोली सूचना संख्या:- 40/2015-16	
3	बोली के अधीन कार्य का विवरण	बोली के प्रपत्र संख्या - 4 के अनुसार।	
4	बोली प्राप्त करने वाला अधिकारी	निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं पदेन अध्यक्ष, हाथी कल्याण संस्था, जयपुर	
5	तकनीकी बोली खोलने का दिनांक, समय व स्थान	23 फरवरी, 2016, 03.00 P.M. कार्यालय- अध्यक्ष, हाथी कल्याण संस्था, जयपुर (निदेशालय, पर्यटन विभाग, खासा कोठी, जयपुर)।	
6	बोलीदाता ठेकेदार/संस्था का विवरण	नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाईल नं.	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम	
7	बोली प्रपत्र शुल्क राशि ----/- रूपये जमा कराने का विवरण	रसीद संख्या	दिनांक
8	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है ? यदि हां तो	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
		पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी	
9	गत तीन वर्षों में सफाई कार्य संचालन अनुभव का विवरण	वर्ष	विभाग/कार्यालय/ भवन का नाम
		2012-13	
		2013-14	
		2014-15	
10	श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण		प्रमाण पत्र संलग्न करें। परिशिष्ट संख्या
11	पैन (PAN) नम्बर		प्रमाण पत्र संलग्न करें। परिशिष्ट संख्या
12	सेवाकर पंजीयन नम्बर		प्रमाण पत्र संलग्न करें। परिशिष्ट संख्या

हस्ताक्षर बोलीदाता

बोलीदाता द्वारा घोषणा:-

13. यह कि मैं/हम (नाम) निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं पदेन अध्यक्ष, हाथी कल्याण संस्था द्वारा प्रकाशित बोली सूचना संख्या 40/2015-16 दिनांक 2 फरवरी, 2016 के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित स्थानों की सफाई व्यवस्था के लिये एतद्द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजात/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:-

- (1) परिशिष्ट संख्या
- (2) परिशिष्ट संख्या
- (3) परिशिष्ट संख्या
- (4) परिशिष्ट संख्या
- (5) परिशिष्ट संख्या
- (6) परिशिष्ट संख्या
- (7) परिशिष्ट संख्या

14. यह कि इस बोली के संबंध में विशिष्ट शर्तें प्रपत्र- 3, 4 एवं 4ए मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।
15. यह कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने पर बोली अधीन कार्य कराने के लिये मेरे द्वारा नियोजित किये जाने वाले कर्मकार किसी भी प्रकार से हाथी कल्याण संस्था अथवा पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के लिये देयता नहीं होंगे।
16. यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस होगा उतनी संख्या में श्रमिकों का सामूहिक बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जावेगा।
17. मुझे/हमें जानकारी है कि तकनीकी बोली के परीक्षण के दौरान सफाई की अवधाराणा, बोली में वर्णित स्थानों की सफाई व्यवस्था तथा इस बोली के तहत अन्य कार्य बाबत कार्य योजना, उपलब्ध संसाधन अनुभव आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण करने के लिये भी मुझे/हमें बुलाया जा सकता है। अगर इस प्रकार बुलाया गया तो निर्धारित दिनांक व समय पर निर्धारित स्थान पर उपस्थित हो कर मैं/हम ऐसा प्रस्तुतीकरण करने को तैयार हैं, जिसके लिये आवश्यक उपकरणों आदि की निःशुल्क व्यवस्था मेरे द्वारा की जावेगी।
18. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित)	
मोबाईल फोन नम्बर	

हाथी गांव सम्पूर्ण परिसर एवं इससे सम्बन्धित अन्य स्थानों की सफाई व्यवस्था का कार्य प्रातः
09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक के लिए
वित्तीय बोली प्रपत्र

1	बोली का संदर्भ	बोली सूचना संख्या:- 40/2015-16	
2	बोली के अधीन कार्य का विवरण	बोली की शर्तों प्रपत्र-3, 4 एवं 4ए के अनुसार	
3	बोलीदाता ठेकेदार/संस्था का विवरण	नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाईल नं.	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम	
4	उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 पर वर्णित समस्त कार्य की मासिक दर (सभी प्रकार के कर /प्रतिभार आदि सहित):-	दर प्रतिमाह	
		राशि अंको में	राशि शब्दों में

हस्ताक्षर बोलीदाता

नोट:- उपरोक्त वर्णित प्रतिमाह दर की राशि में वे सभी प्रकार के कर, लेवी, शुल्क, प्रावधायी निधि, बीमा आदि की राशि शामिल है, जो कि इस बोली अधीन अनुबन्ध के तहत कराये जाने वाले कार्य/ठेके पर लागू है अथवा/भविष्य में लागू हो सकते हैं। हाथी कल्याण संस्था, जयपुर (पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार) द्वारा उपरोक्त राशि के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जावेगा और सभी प्रकार के कर, लेवी, शुल्क, प्रावधायी निधि, बीमा आदि की राशि ठेकेदार/संस्था द्वारा ही वहन किये जावेंगे। यदि नियमानुसार किसी प्रकार के कर, लेवी या शुल्क की स्रोत पर कटौती की जाना अनिवार्य है तो ठेकेदार/संस्था के बिल के भुगतान के समय बिल की राशि में से पर्यटन विभाग ऐसी कटौतियां कर सकेगा।

बोलीदाता द्वारा घोषणा:-

यह कि उपरोक्त वर्णित दर एवं शर्त बोली अनुमोदन पश्चात् अनुबन्ध की अवधि के लिए मान्य होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित) मोबाईल फोन नम्बर	

हस्ताक्षर बोलीदाता

—ह—
संयुक्त निदेशक (ट्रेड)

हाथी गांव, आमेर सम्पूर्ण परिसर एवं इससे सम्बन्धित अन्य स्थानों की सफाई व्यवस्था का कार्य प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक के लिए

1. हाथी कल्याण संस्था द्वारा जारी बोली प्रपत्र के निम्न प्रकार 4 भाग हैं:-
 - (1) तकनीकी बोली प्रपत्र- 1
 - (2) वित्तीय बोली प्रपत्र- 2
 - (3) बोली प्रपत्र की शर्तें- 3
 - (4) कार्यक्षेत्र प्रपत्र- 4
2. बोली प्रस्तुत करने वाले इच्छुक ठेकेदार/संस्था द्वारा तकनीकी व वित्तीय दोनों प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
3. तकनीकी बोली प्रपत्र- 1 में दस्तावेज सहित प्रस्तुत करने होंगे।
 - 3.1 बोली प्रतिभूति राशि रुपये 36000/- का जयपुर में भुगतान योग्य बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अध्यक्ष, हाथी कल्याण संस्था, जयपुर के नाम देय होगा।
 - 3.2 हाथी कल्याण संस्था, जयपुर द्वारा जारी किये गये बोली प्रपत्र के साथ दिये गये बोली की विशेष शर्तों संबंधी प्रपत्र- 3, प्रपत्र- 4 एवं 4ए ठेकेदार/संस्था द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरशुदा होना आवश्यक है। अहस्ताक्षरित प्रपत्रों की स्थिति में वित्तीय बोली का लिफाफा नहीं खोला जावेगा।
 - 3.3 राजकीय भवनों/निगमों एवं अन्य पंजीकृत ट्रस्ट/संस्थाओं के अधीन भवनों में सफाई कार्य संचालन का पिछले 3 वर्षों का संतोषप्रद अनुभव का प्रमाणपत्र जो संबंधित संस्थान के द्वारा जारी किया गया हो (प्रमाण पत्र बोलीदाता फर्म के नाम से ही होना चाहिये)।
 - 3.6 ठेकेदार/संस्था का गत 3 आयकर निर्धारण वर्षों 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 (assessment years) की आयकर रिटर्न/कर निर्धारण प्रपत्र की प्रतिलिपियाँ।
4. वित्तीय बोली प्रपत्र- 2 में प्रस्तुत की जावेगी।
5. निर्धारित दिनांक व समय पर प्रस्तुत की गई बोलियों को यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्व प्रथम तकनीकी बोली के लिफाफे को खोला जावेगा। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी बोलीओं को परीक्षण किया जावेगा।
6. तकनीकी परीक्षण के दौरान सफाई की अवधारणा, बोली में वर्णित स्थानों की सफाई व्यवस्था एवं इस बोली के तहत संधारण कार्य बाबत कार्य योजना, बोलीदाताओं के उपलब्ध संसाधन व अनुभव आदि के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण करने के लिए भी बोलीदाता को बुलाया जा सकता है जिसे निर्धारित दिनांक, समय एवं निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर ऐसा प्रस्तुतीकरण करना होगा, जिसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा स्वयं के खर्च से की जावेगी।
7. बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में दी गई सूचनाओं के सत्यापन हेतु तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में समिति बोलीदाता के व्यावसायिक ठिकाने व अन्य समुचित स्थानों पर भी भौतिक सत्यापन कर सकती है।
8. तकनीकी बोलियों के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतीकरण, भौतिक सत्यापन आदि के बाद केवल उन बोलीदाताओं के ही वित्तीय बोली के लिफाफे खोले जावेंगे, जो कि तकनीकी बोली परीक्षण/प्रस्तुतीकरण में सफल/उपयुक्त पाये जावेंगे। असफल/अनुपयुक्त बोलीदाताओं के वित्तीय बोलीओं के लिफाफे नहीं खोले जावेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

- 9 तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी जिसका स्थान एवं तिथि तकनीकी बोली में सफल रहे बोलीदाताओं को पृथक से सूचित कर दिया जावेगा।
10. बोली में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त बोलीदाता की स्वीकार नहीं होगी तथा निदेशक पर्यटन एवं अध्यक्ष, हाथी कल्याण संस्था, जयपुर को किसी भी बोली को (न्यूनतम) दर वाली बोली सहित) बिना किसी कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
11. बोली की वैधता 90 दिन के लिए होगी।
12. न्यूनतम दरदाता को निविदा स्वीकृति की सूचना की तारीख से 7 दिवस में निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबन्ध पत्र टंकित कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। बिना अनुबंध पत्र निष्पादन एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति के कार्य आदेश जारी नहीं किया जावेगा।
13. सफल बोलीदाता को कार्यादेश दिए जाने के तुरन्त पश्चात् इस बोली में उल्लेखित सफाई कार्यों की विस्तृत कार्य-योजना बनाकर 7 दिवस की अवधि में देनी होगी, जिसमें प्रत्येक कार्य व श्रमिकों का पूर्ण विवरण होगा। प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली राशि से पूर्व सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कार्य-योजना के अनुसार उक्त माह में कार्य वास्तविक रूप से किया गया है।
14. सफाई कार्य ठेकेदार/संस्था द्वारा बोली में वर्णित सफाई कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये सुपरवाइजर्स नियुक्त किये जावेंगे और सफाई कार्य इन सुपरवाइजर्स की निगरानी में करवायी जायेगी। इन सुपरवाइजर्स की शैक्षणिक योग्यता सीनियर हायर सैकेण्डरी होनी चाहिये। इन सुपरवाइजर अथवा सफाईकर्मी की अनुपस्थिति को सफाई कार्य में व्यवधान का कारण नहीं माना जावेगा और ऐसी स्थिति में ठेकेदार को तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
15. सफाई ठेकेदार/संस्था को प्रतिदिन सफाई से उत्पन्न होने वाले कचरे को उसी दिन स्वयं के साधन/वाहन से सुरक्षित प्रकार से हाथी गांव परिसर से बाहर ले जाकर ऐसे स्थान पर डालना होगा जो कि नगर निगम/स्थानीय प्रशासन के सक्षम अधिकारी द्वारा कचरागाह के रूप में इस हेतु निर्धारित किया गया है। ऐसे कचरागाह में कचरा डालने के लिये यदि नगर निगम/सक्षम अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता हो तो ऐसी अनुमति ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर लेनी होगी तथा साथ ही ठेकेदार द्वारा हाथियों के अपशिष्ट (Elephant Dung) का निष्कारण करते समय पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ नियमों की पालना सुनिश्चित करना होगा तथा उक्त दिशा निर्देशों/नियमों की अवहेलना पर होने वाली कार्यवाही की जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
16. सफाई ठेकेदार/संस्था को नगर निगम द्वारा स्थापित waste treatment plant/ bio gas plant के उपयोग की स्वीकृति अथवा स्वयं द्वारा स्थापित waste treatment plant/ bio gas plant का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. बोली में वर्णित सफाई कार्यों के विस्तार एवं व क्षेत्रफल को देखते हुए सफाई कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के यंत्र जैसे:- वैक्यूम क्लीनर, वाईपर, स्क्रबर/झायर मशीन, झाड़ू, सुम्भा, पौछा, फावड़ा, कचरा -गाड़ी की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। हाथी कल्याण संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जायेगी। सफाई कार्यों में उपयोग आने वाली यंत्रों व सामान को संबंधित परिसर में एक निर्धारित स्थान पर कमरे में रखा जा सकेगा और यंत्रों/सामान की सूची कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। यंत्रों एवं सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यंत्रों/सामान के रख-रखाव एवं मरम्मत आदि की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
18. सफाई कार्य के लिये प्रयुक्त होने वाली सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। डस्टबिन में रोज बेग बदलने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
19. सफाई व्यवस्था के लिये ठेकेदार को हाथी गांव कार्यालय में एवं पंजिका रखनी होगी जिसमें प्रतिदिन का कार्य सम्पादन के बाद कार्य सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी/केयरटेकर से प्रमाणित कराना होगा।
20. हाथी गांव परिसर के भवनों, शौचालयों में लगे नल, वेस्ट पाईप इत्यादि में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो तो उसकी लिखित में शिकायत तत्काल ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी को करनी होगी। सूचना न देने पर यह माना जावेगा कि उक्त सामान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा गायब कर दिया गया है। दण्डस्वरूप उक्त सामान ठेकेदार को लगवाना होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

21. निरीक्षण के दौरान सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर, अथवा किसी अधिकारी/जनता से सफाई बाबत शिकायत प्राप्त हो एवं जांच में सही पाये जाने पर प्रति प्रकरण प्रतिदिन राशि 500/- रुपये की शास्ति (a penalty of Rs. 500/- per incident per day) ठेकेदार/संस्था पर अधिरोपित की जा सकेगी, जो कि उसके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से कटौती की जा कर बिल की केवल शेष राशि ही भुगतान की जावेगी।
22. ठेकेदार इस ठेके को किसी अन्य को सबलेट नहीं करेगा। इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा कुछ कुशल या अकुशल श्रमिकों को नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत करना होगा।
23. इस प्रकार नियोजित समस्त कुशल/अकुशल श्रमिकों को निर्धारित वर्दी (Uniform) एवं नाम सहित बैज आवश्यक रूप से देने होंगे जो कि उक्त श्रमिकों द्वारा परिसर में उपस्थिति के दौरान अनिवार्यतः धारण करने होंगे। निर्धारित वर्दी एवं बैज ठेकेदार/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।
24. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों/श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंसा पर ही उसके कर्मियों के प्रवेश पत्र बनाए जायेंगे।
25. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
26. ठेकेदार/संस्था के लिये यह बाध्यता होगी कि अपराधिक चरित्र/ अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध- सिद्ध दोषी, सजायापता श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
27. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि हाथी गांव परिसर की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार/संस्था को करना होगा।
28. ठेकेदार/निदेशक, पर्यटन विभाग,राजस्थान सरकार एवं संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश देने हेतु बुलाया जावेगा तो तुरन्त उसी दिन मिलना होगा। ठेकेदार/ संस्था द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संबंधित परिसर में उपस्थित रहना होगा।
29. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा।
30. ठेकेदार/संस्था को श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम संबंधी कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। संबंधित कानून की जानकारी नहीं होना किसी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जावेगा।
31. कार्य के दौरान किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/संस्था की होगी। कार्यों पर लगे श्रमिकों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिए हाथी कल्याण संस्था किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
32. यह कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व ठेकेदार/संस्था द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा और जितनी संख्या में श्रमिकों के लिये लाइसेंस होगा उतनी संख्या में श्रमिकों का सामूहिक बीमा (Group Insurance) ठेकेदार/संस्था द्वारा कराया जावेगा।
33. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी, प्रावधायी (EPF) बीमा (ESI) एवं सेवाकर आदि में इस अनुबन्ध की अवधि में दरों में कोई वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार/संस्था को इसका भी भुगतान वहन करना होगा और हाथी कल्याण संस्था का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त नियमों की पालना हेतु पूर्ण रूप से ठेकेदार/संस्था उत्तरदायी होंगी।
34. श्रम संबंधी कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना सूचना दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर बोलीदाता

35. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा ऐसे सभी श्रमिकों को ठेकेदार/संस्था द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित किया जायेगा कि वे ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिक हैं, तथा हाथी कल्याण संस्था अथवा पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार से उनका कोई संबंध नहीं है।
36. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इस संबंध में यदि हाथी कल्याण संस्था/ पर्यटन विभाग को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार/संस्था के लम्बित भुगतान से वसूली योग्य होगी।
37. यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार से लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये पृथक से सफाई एवं विविध कार्य विवरण में स्पष्टतः शास्ती का प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की गलती के लिये 500/- रूपये प्रतिदिन प्रति गलती शास्ती आरोपित की जा सकती है।
38. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड एवं शास्ती की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार इस संस्था/विभाग को होगा।
39. उपरोक्त सभी कार्यों में से प्रत्येक माह भुगतान की जाने वाली राशि में से आयकर एवं नियमानुसार अन्य राशि की कटौती कर भुगतान किया जावेगा। उक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की शर्त व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
40. यह कि हाथी कल्याण संस्था/ पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि सफाई की व्यवस्था का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
41. ठेका स्वीकृति होने पर ठेके की राशि का 5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में ठेकेदार/संस्था द्वारा जमा कराना होगा, जिसमें बोलीदाता द्वारा लिखित में आवेदन करने पर पूर्व में जमा बयाना राशि (earnest moeny) को भी समायोजित किया जा सकेगा। इस प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि संतोषप्रद ठेका निष्पादन अथवा ठेके की अवधि समाप्त होने पर लौटा दी जावेगी। इस विभाग को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार/संस्था को कोई बकाया राशि या शास्ती बकाया होगी तो उक्त राशि में से समायोजित कर काट ली जावे।
42. इस बोली के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोतरी करने का अधिकार हाथी कल्याण संस्था/ पर्यटन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
43. इस बोली के संबंध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से संबंधित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर पदेन अध्यक्ष, हाथी कल्याण संस्था का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
44. ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य के मासिक बिल को संबंधित प्रभारी अधिकारी से कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं बिल को प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु हाथी कल्याण संस्था को प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

45. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।

बोलीदाता के नाम मय हस्ताक्षर एवं मोहर	
दिनांक	
बोलीदाता/संस्था का नाम एवं फर्म की मोहर	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर	
फोन नम्बर मोबाईल नम्बर	

हस्ताक्षर बोलीदाता

बोली के अधीन कार्य का विवरण

बोली के अधीन ग्राम- कुण्डा, आमेर, जयपुर स्थित हाथी गांव परिसर एवं इससे संबंधित अन्य स्थानों की सफाई व्यवस्था का कार्य किया जावेगा। बोलीदाता द्वारा बोली लगाने से पूर्व कार्यक्षेत्र की जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से जानकारी ली जा सकती है एवं स्थान देखे जा सकते हैं। बोलीदाता को सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के द्वारा निर्देशित स्थानों की साफ सफाई से संबंधित कार्य करना होगा। कार्यक्षेत्र का मुख्यतः विवरण निम्नानुसार है:-

हाथी गांव

1. सफाई कार्य सम्पूर्ण हाथी गांव का आन्तरिक एवं बाहरी परिसर मय शोचालय व सीवर लाईन एवं सुविधाएं, में प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से सांय 5.00 बजे तक की जायेगी। हाथियों के खड़े होने एवं आने-जाने का रास्ता, आदि स्थान समय-समय पर निर्देशानुसार अन्य क्षेत्र **WORKING SCHEDULE 4 A** संलग्न है।
2. हाथी स्टैण्ड की पानी से धुलाई माह में दो बार करना आवश्यक होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता

WORKING SCHEDULE
Hathi Gaon, Amer

S.No.	Working area (Zones)	Type of cleaning
(A)	Common Area- ZONE A	
1.	Path Ways (Cement Block Made)	Sweeping and picking up elephant dung (daily)
2.	Path Ways (Kachcha)	Sweeping and picking up elephant dung (daily)
3.	Arround Pond A & B	Sweeping and picking up elephant dung (daily)
4.	Area of ticket counter and Security Room at Entrance Gate	Sweeping and picking up elephant dung (daily)
5.	Administrative Office of Hathi Gaon & School Building (with toilets)	Sweeping and cleaning with standard of procedures
6.	Guest Houses (with toilets)	Sweeping and cleaning with standard of procedures
7.	Vetenary Hospital Building (with toilets)	Sweeping and cleaning with standard of procedures
8.	Area of Hathi Stand	Sweeping and picking up elephant dung (daily)
9.	Common Thans	Sweeping and picking up elephant dung (daily)
10.	Parking	Sweeping (daily) cleaning of grease, oil stains on existence
11.	General Cleanliness of whole Hathi Gaon Campus	Maintenance of cleanliness of the campus regularly.
12.	Removal of unwanted shrubs from the pathways & public area.	Removal of unwanted shrubs from the pathways & public area on regular basis such that the public area appear well kept & maintained.
(B)	ZONE B (Sewerage Line)	
1.	Maintanance/ cleaning of Hathi Gaon Sewerage Line	Cleaning & Maintanance

—ह—

हस्ताक्षर बोलीदाता

निदेशक पर्यटन एवं अध्यक्ष, हा.क.संस्था